परिपत्र संख्या 03 / 2020

राजस्थान-सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान
"पंजीयन-भवन", अजमेर

क्रमांकः एफ–7(39)जन/2020/ 13779 दिनांक : 28/10/20

~:~ परिपत्र ~:~

विषय :– अचल सम्पत्ति के दस्तावेजों के पंजीयन से पूर्व एवं पंजीयन के पश्चात सम्पत्ति का मौका निरीक्षण करने के संबंध में।

विभागीय मार्गदर्शिका, 2015 के परिपत्र संख्या 05/2015 के बिन्दु संख्या–16 में पंजीयन अधिकारी द्वारा सम्पत्ति का मौका निरीक्षण सांय 6:00 बजे पश्चात् ही किये जाने के निर्देश प्रदत्त किये हुए है।

अचल सम्पत्ति के मौका निरीक्षण की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सुविधाजनक एवं सरल बनाने की दृष्टि से अचल सम्पत्ति का मौका निरीक्षण सांय 6:00 बजे पश्चात् ही किये जाने के निर्देशों को संशोधित करते हुए समस्त विभागीय अधिकारियों/कार्मिकों को निर्देशित किया जाता हैं कि, अचल सम्पत्ति के दस्तावेजों के पंजीयन से पूर्व एवं पंजीयन के पश्चात किये जाने वाले सम्पत्ति के मौका निरीक्षण, पंजीयन कार्य को बाधित किये बिना पंजीयन समयान्तराल के अलावा अन्य समय में किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

विभागीय मार्गदर्शिका, 2015 के उक्त परिपत्र संख्या 05/2015 के बिन्दु संख्या–16 के अतिरिक्त शेष बिन्दु यथावत रहेंगें।

28/10/20

(महावीर प्रसाद)
महानिरीक्षक
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग
राजस्थान–अजमेर

क्रमांकः एफ–7(39)जन/2020/ 13780 - 14419 दिनांक : 28/10/20

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (कर) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
3. महानिदेशक, राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय, राजस्थान, भूतल 'डी' ब्लाक वित भवन, जयपुर।
4. समस्त कलक्टर एवं जिला पंजीयक, राजस्थान।
5. कार्यालय महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व क्षैत्र लेखापरीक्षा) राजस्थान, जनपथ, जयपुर–302005।
6. पंजीयक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर को कर बोर्ड के माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ।
7. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, अजमेर को उनके यू.ओ.नोट कमांक एफ.6(983)पी.ए.सी.2013–14 सिफारिश/298वां प्रति./2018–19/1188 दिनांक 30.11.2018 के संदर्भ में।
8. अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, कमरा नम्बर 401, ब्लाक–डी वित भवन जयपुर।
9. समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, राजस्थान।
10. संयुक्त निदेशक (कम्प्यूटर), मुख्यालय, अजमेर को परिपत्र की प्रति, विभाग की वेबसाईट igrs.rajasthan.gov.in पर अपलोड कराने हेतु।
11. संयुक्त विधि परामर्शी, मुख्यालय, अजमेर।
12. वरिष्ठ विधि अधिकारी, कार्यालय उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), वृत–जयपुर/जोधपुर।
13. समस्त उप पंजीयकगण, (पूर्णकालीन एवं पदेन) राजस्थान।
14. उप राजकीय अभिभाषक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।
15. समस्त प्रभारी, आन्तरिक लेखा जॉच दल, मुख्यालय, अजमेर।
16. निजी–सचिव, महानिरीक्षक/निजी–सहायक, अतिरिक्त महानिरीक्षक, अजमेर।
17. समस्त शाखाऐं, मुख्यालय, अजमेर।

28/11/20

महानिरीक्षक

Scanned by CamScanner